अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख, हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– दाखिल खारिज अपील वाद संख्या – 26/2013–14

ममता मिश्र बनाम श्वेताभ गुप्ता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख का अनुशीलन किया तथा विद्वन अधिवक्ताओं को सुना। प्रस्तुत अपील अपीलार्थी श्रीमती ममता मिश्रा पति– श्री सुदिश मिश्रा ग्राम–कमलपुर थाना–रैयाम जिला–दरभंगा ने अंचल सदर दरभंगा दाखिल खारिज वाद सं0–4245/12–13 में विद्वान अंचलाधिकारी, सदर दरभंगा द्वारा पारित अस्वीकृतादेश दिनांक– 22.01.2013 से असंतुष्ट (क्षुब्ध) होकर दिनांक– 26.09.2013 को दाखिल किया है। इस अपील वाद में अपीलार्थी ने अपने बिक्रेता श्वेताभ गुप्ता पिता–स्व0 लखन बहादुर गुप्ता मुहल्ला–कादिराबाद अन्दर टाउन दरभंगा को उत्तरवादी पक्षकार बनाया है। अपीलार्थी के अपील वाद पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब के समुचित कारण से संतुष्ट होकर अपीलार्थी के लिमिटेशन अधिनियम की धारा–5 के तहत अनुरोधावेदन को मंजूर करते हुए अपील सुनवाई हेतु प्रतिग्रहित की गई एवं उत्तरवादी को उचित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना निर्गत की गई और दिनांक– 25.11.2013 के आदेशानुसार निम्न न्यायालय से दाखिल खारिज वाद के मूल अभिलेख की माँग की गई, उत्तरवादी ने कार्रवाई में भाग लेकर रिज्वाइंडर दाखिल किया है तथा निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अभिलेखबद्ध है। अपील वाद पत्र के अनुशीलन, उत्तरवादी के रिज्वाइंडर के विश्लेषण तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अध्ययन से अपीलार्थी का अपील बिल्कुल पोषणीय तथा अंचलाधिकारी का आदेश दाखिल खारिज अधिनियम के सिद्धान्तों के प्रतिकुल परिलक्षित होता है। स्पष्टतया अपीलार्थी ने मौजा–बेलादुल्लाह टाउन से बाहर आवासीय प्रकृति की भूमि खाता नं0–48 खेसरा नं0–420 (पुराना) 482 (नया) से मिलजुमला 16 धुर 04 कनमा भूमि जिसके उत्तर पुराना खेसरा नं0– 419 (पुराना) दक्षिण बारह फीट चौड़ा	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	रास्ता नीजी अन्दर खेसरा 420 पूरब–निज मनमोकिर का ब्लॉक नं0–8 (ए) पश्चिम अरूण झा ब्लॉक नं0–6 ए वाली भूमि (ब्लॉक नं0 7 (ए)) का आधा जमाबंदी सं0–39 के जमावंदीदार उत्तरवादी श्री श्वेताभ गुप्ता पिता–स्व0 लखन बहादुर गुप्ता मुहल्ला–कादिरा बाद से दिनांक–15.06.2011 को दस्तावेज सं0–9353 द्वारा समुचित किमत भूगतान के पश्चात हासिल किया है जिसे बिक्रेता उत्तरवादी ने भी स्वीकार करते हुए उल्लेख किया है कि उक्त दस्तावेज द्वारा बिक्रित भूमि पर अपीलार्थी का दखल कब्जा है जो अपीलार्थी के पक्ष में दाखिल खारिज होने के लिए अनुकुल है। अंचलाधिकारी के मूल अभिलेख के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि हल्का कर्मचारी के अस्पष्ट एवं तथ्यहीन प्रतिवेदन के आलोक में बिना किसी आपत्ति के और अपीलार्थी को बगैर सुनने का अवसर प्रदान किए लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल आवेदन संख्या– 050112131041300340 दिनांक–19.01.2013 के आधार पर कायम दाखिल खारिज वाद सं0–4245/12–13 को दिनांक–22.01.2013 को अस्वीकृत कर दिया गया है जो आदेश निरस्त के योग्य हैं चूँकि हल्का कर्मचारी द्वारा दखल कब्जे के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदन नहीं किया गया है, जबकी दाखिल खारिज के लिए उक्त तथ्य महत्वपूर्ण है। अपीलार्थी द्वारा दिए गए दस्तावेज में दर्ज भूमि के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि दस्तावेज में दर्ज भूमि का बिक्रेता के नाम से जमावंदी संचालित नहीं है, जबकि उतरवादी द्वारा दाखिल जमावंदी सं0–39 अन्तर्गत राजस्व रसीद वर्ष 1985–86 एवं 1994–95 से विदित होता है कि अपीलार्थी के बिक्रेता उत्तरवादी श्री श्वेताभ गुप्ता के नाम 16 कट्ठा 13 धुर 08 कनमा की जमावंदी चलती है। इस अपील वाद में मुख्यतः यह परिलक्षित होता है कि दस्तावेज दिनांक–15.06.2011 में कातिव ने जमावंदी सं0–39 को हिन्दी में गलती से 31 लिख दिया जिसके कारण ही ऐसा हुआ है। जबकि उत्तरवादी की जमावंदी सं0–31 नहीं बल्कि 39 है। इस प्रकार अंचलाधिकारी को अपीलार्थी को अवसर प्रदान कर सुनते हुए आदेश पारित करनी चाहिए थी जो अंचलाधिकारी द्वारा	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

नहीं किया गया है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के अपील को मंजुर करते हुए अंचल दाखिल खारिज वाद सं0–4245/12–13 में पारित आदेश दिनांक–22.01.2013 को निरस्त (Set – aside) किया जाता है। साथ ही अंचलाधिकारी सदर दरभंगा को निदेशित किया जाता है कि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के सिद्धान्तों को अपनाते हुए बिक्रेता के जमाबंदी सं0–39 से अपीलार्थी के दस्तावेजी भूमि को हटाते हुए , अपीलार्थी के नाम दाखिल करने संबंधी नियमानुसार मुखर रूप से स्वच्छ आदेश पारित करेंगे।

आदेश की प्रति के साथ अंचल का मूल अभिलेख अनुपालनार्थ वापस करें।

लेखापित एव शुद्धित

12/08/14

भू0 सु0 उप समाहर्त्ता
सदर, दरभंगा

12/08/14

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सदर, दरभंगा।